

23/03/22

पत्रावली पेश हुई वकीलवारी में निवेदन किया
कि उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मुसवात
पुर्व में न्यायालय आप द्वारा निर्दिष्ट
किता जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र
का कोई आचिन्त्य नहीं रहता है। शर्तिका
प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का
आदेश दिया जाकर पत्रावली बतलाने का
है। का नकार से काम है।